बैंक ऑफ इंडिया

बनाम

नांगिया निर्माण (1) प्राइवेट लिमिटेड व अन्य

2001 की सिविल अपील सं. 1315

15 मई 2008

(तरुण चटर्जी और दलवीर भंडारी न्यायमूर्तिगण)

बैंक गारंटीः

राष्ट्रीयकृत बैंक--बिना शर्त के मांग पर बैंक गारंटी थी। बैंक द्वारा वैधता अवधि के दौरान लागू की गई। तथ्यों के आधार पर अभिनिर्धारित किया गया कि बैंक अपनी गारंटी का आदरण एवं उसका भुगतान करने के लिए बाध्य था, जिस पर बैंक ने गारंटी राशि का भुगतान करने के लिए असमर्थनीय और तुच्छ आधारों पर मना कर दिया, जिसके लिए उच्च न्यायालय की अपीलार्थी- बैंक के आचरण की निंदा करने में पूरी तरह से उचित था।

विचाराधीन बैंक गारंटी बिना शर्त के मांग पर बैंक गारंटी थी। इसे बैंक गारंटी की वैधता अवधि के दौरान लागू किया गया था, जिसके बाद बैंक गारंटी के तहत भुगतान पर रोक लगाने के लिए न्यायालय में एक आवेदन दायर किया गया था, उस आवेदन में अपीलकर्ता बैंक एक पक्ष नहीं थे। प्रारंभ में उच्च न्यायालय द्वारा इस शर्त पर निषेधाज्ञा दी गई कि बैंक गारंटी को चालू रखा जाना चाहिए था। इस निषेधाज्ञा को दोबारा इस शर्त पर पुष्ट किया गया कि बैंक गारंटी को नवीनीकृत रखा जाना चाहिए। जिस घटक के आधार पर निषेधाज्ञा दी गई थी और जिसे बैंक गारंटी को सजीव रखना था, उसने इस संबंध में बैंक के शुल्क का भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप अपीलांट

बैंक ने गारंटियों के नवीनीकरण से इंकार किया और उसके पश्चात यह पक्ष रखा कि चूंकि बैंक गारंटी नवीनीकृत नहीं हुइ है, इसलिए बैंक गारंटी के अधीन राशि अदा करने के लिए बाध्य नहीं है।

हालांकि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने यह कहा कि बैंक गारंटी का आह्वान वैधता अवधि के भीतर था और इसलिए अपीलार्थी बैंक भुगतान करने से इनकार नहीं कर सकता था। खंड पीठ ने इस दौरान अपील खारिज करते हुए आक्षेपित फैसले में कहा कि बैंक गारंटी को केवल न्यायालय के आदेशों के तहत नवीनीकरण किया गया था क्योंकि इस दौरान बैंक गारंटी के नकदीकरण के विरूद्ध स्थगन आदेश था। आगे कहा कि एक बार स्थगन आदेश के हटने के पश्चात बैंक गारंटी के आह्वान का कोई प्रश्न नहीं था। हस्तगत प्रकरण में बैंक गारंटी का आह्वान समयावधि के भीतर था इसलिए जो भी कार्य करना था वह यह था कि बैंक को सूचित करे कि स्थगन आदेश हट गया है और बैंक गारंटी के अधीन ही भुगतान किया जाना था।

इस न्यायालय के समक्ष अपील में अपीलार्थी बैंक ने यह तर्क दिया कि एक प्रतिस्थापित करार विद्यमान था इसलिए उत्तरदाता सं. 02 द्वारा बैंक गारंटी के आह्वान का कोई परिणाम नहीं निकलना था।

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बैंक उसके वचन का पालन और बैंक गारंटी का भुगतान करने के लिए दायी था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक भुगतान करने के लिए तुच्छ आधारों पर भुगतान हेतु मना कर रहा है। खंडपीठ की इस मामले में राष्ट्रीयकृत बैंक के आचरण बाबत टिप्पणी पूरी तरह से उचित थी। लोगों का पूरा विश्वास, भरोसा और आस्था राष्ट्रीयकृत बैंक के आचरण और विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक लेनदेन पूर्ण रूप से बैंक की गारंटी पर निर्भर करते हैं। यदि बैंकों

को उनके वचन के अनादरण की अनुमति मिल जाती है, तो समस्त वाणिज्यिक और व्यावसायिक ले– पर प्रभाव पडेगा। [पैरा सं. 13,14] (1025 सी. व डी.)

भारत संघ बनाम किशोरीलाल गुप्ता एंड ब्रदर्स (1960)1 एस. सी. आर.493 और मखरिया ब्रदर्स बनाम नागालैंड राज्य व अन्य (2000) एससीसी 503 को देखा गया।

सिविल अपील अधिकारिता – सिविल अपील सं. 1315/2001

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रकरण सं. एफ.ए.ओ (ओ.एस.) 81/1999 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 26-10-1999 से।

अपीलार्थी की ओर से के. एन. भट्ट, स्विगिन, आकांक्षा, नीना गुप्ता और बीना गुप्ता।

उत्तरदाताओं की ओर से गिन्नी जेटली राउत्रे, कंचन कौर धोड़ी, संगीता कुमार, अश्विनी गर्ग और शिवांगी थागेला।

दलवीर भंडारी, न्यायमूर्ति

1. यह अपील निर्णय व आदेश दिनांक 26-10-1999 दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रकरण सं. एफ.ए.ओ (ओ.एस.) 81/1999 के लिए निर्देशित हुयी।

2. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह विचार रखा कि बैंक गारंटी का आह्वान नियत अवधि के भीतर था और बैंक भुगतान करने के लिए मना नहीं कर सकता था। खंड पीठ ने आक्षेपित फैसले के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा था कि बैंक गारंटी 19-05-1989 को मियाद अवधि के भीतर ही आह्वान की गई थी। बैंक गारंटी को केवल न्यायालय के आदेशों के तहत नवीनीकृत किया गया था क्योंकि इसके खिलाफ स्थगन आदेश था। एसे में जबकि एक बार स्थगन आदेश हट गया हो, बैंक गारंटी के आह्वान का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। हस्तगत प्रकरण में गारंटी का आह्वान नियत अवधि के भीतर किया गया इसलिए जो कुछ भी किया जाना था वह यही था कि बैंक को

सूचित किया जाए कि स्थगन आदेश हट गया है और अब बैंक गारंटी के तहत भुगतान किया जाना था।

3. खंडपीठ ने पीड़ा के साथ इस प्रकार टिप्पणी की हैः यह आश्चर्य की बात है कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसने मांग पर बिना शर्त के बैंक गारंटी दी है, जो इस तरह का तर्क लेता है। भुगतान से इनकार करने का निचली अदालत या उन्हें आधार दिखायी नहीं दिया। आश्चर्य के साथ देखा गया कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक शर्तहीन बैंक गारंटी में जानबूझकर देरी करना चाहते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक को इस तथ्य का ज्ञान होना चाहिए कि इस प्रकार का उनका व्यवहार आमजन में उनके विश्वास और बैंक गारंटी के संव्यवहार पर विपरीत प्रभाव डालता है।

न्यायालय ने अपील को खर्चे सहित खारिज किया।

4. राष्ट्रीयकृत बैंक ने दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों और अवलोकन के पश्चात भी इस अपील को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक समझा है। इस न्यायालय के समक्ष यह विवादित नहीं है कि बैंक गारंटी का आह्वान नियत अवधि के भीतर ही किया गया हो।

5. श्री के. एन. भट, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जो अपीलार्थी बैंक की तरफ से उपस्थित हुए हैं, ने कथन किया है कि एक प्रतिस्थापित संविदा का करार था, हालांकि उत्तरदाता सं.02 द्वारा बैंक गारंटी का आह्वान का कोई परिणाम नहीं निकला।

6. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि बैंक गारंटी के आह्वान के पश्चात न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र भुगतान के स्थगन हेतु पेश किया गया। जिस प्रार्थना पत्र में बैंक पक्षकार नहीं था। हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा 29-05-1989 को स्थगन आदेश दिया गया, जिसमें यह शर्त थी कि बैंक गारंटी को सजीव रखा जाना चाहिए। जो स्थगन पुनः दिनांक 23-04-1990 को इस शर्त पर पुष्ट किया कि बैंक

गारंटी का नवीनीकरण किया जाता रहे। वह पक्ष जिसने निषेधाज्ञा प्राप्त की थी और जिसे बैंक गारंटी सजीव रखनी थी, उसने बैंक को इस संबंध में शुल्क का भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी बैंक ने 26-05-1996 के पश्चात बैंक गारंटी को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया, जिस पर बैंक गारंटी के लाभार्थी ने प्रार्थना पत्र निम्नलिखित प्रार्थना के साथ पेश किया है-

> "हस्तगत परिस्थितियों में यह विनम्र निवेदन किया गया कि याचिकाकर्ता को इस सीमा तक निर्देशित किया जाए कि बैंक गारंटी एक वर्ष की अवधि के लिए बढायी जाए और याचिकाकर्ता को यह भी निर्देशित किया जाए कि बैंक गारंटी की सीमा तक वह माध्यस्थम के अंतिम निस्तारण के पंद्रह दिवस पूर्व तक बैंक गारंटी चालू रखे, जिसमें असफल होने पर बैंक गारंटी के नकदीकरण की अनुमति दी जाए।"

7. जैसा कि न्यायालय के समक्ष प्रश्न रहा कि क्या बैंक गारंटी नवीनीकृत की जाए, इस संबंध में अपीलार्थी बैंक को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किए गए। न्यायालय को यह देखना था कि क्या पक्षकार बैंक गारंटी को नवीनीकरण करने हेतु तैयार हैं। इस संबंध में अपीलार्थी बैंक उपस्थित हुआ और स्पष्ट किया कि वे बैंक गारंटी के नवीनीकरण के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि इस संबंध में आवश्यक शुल्क अदा नहीं किए गए हैं।

8. अपीलार्थी बैंक ने वही तर्क दोहराया है कि चूंकि बैंक गारंटी नवीनीकृत नहीं हुयी है, इसलिए बैंक, बैंक गारंटी की राशि का भुगतान करने हेतु बाध्य नहीं है।

9. अपीलार्थी की तरफ से विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के दो निर्णयों की तरफ यथा- भारत संघ बनाम किशोरीलाल गुप्ता और ब्रदर्स 1960(1) एससीआर 493 और मखरिया ब्रदर्स बनाम नागालैंड राज्य और अन्य 2000 (10) एससीसी 503।

10. किशोरीलाल गुप्ता(उपरलिखित) में इस न्यायालय ने माना है कि किसी करार के पक्षकार पारस्परिक करार के द्वारा एक नए करार में पुराने करार की जगह प्रविष्ट हो सकते हैं।

11. इस संबंध में कोई विवाद नहीं रहा दोनों पक्षकार इस संबंध में स्वतंत्र है कि वे एक नया करार कर सकते हैं, लेकिन हस्तगत प्रकरण में एसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है।

12. मखरिया ब्रदर्स (उपरीलिखित) में प्रश्न था कि ठेकेदार के विरूद्ध राज्य को क्या उपचार प्राप्त था जबकि ठेकेदार ने प्रतिभूति राशि नकद में अथवा बैंक गारंटी के जरिये जमा न करायी हो। राज्य ठेकेदार को ये काम करने के लिए कहने हेतु कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकता था क्योंकि यह विशिष्ट निष्पादन की डिक्री मांगने के समान होगा। एक डिक्री जो लागू करने में असक्षम होती यदि ठेकेदार पैसे का भुगतान करने अथवा बैंक गारंटी रखने में असमर्थ होता। जब ठेकेदार बैंक गारंटी की शर्तों का पालन करने से मना करता तो राज्य के लिए यही पर्याप्त उपचार होता कि वह संविदा को शर्त भंग के कारण समाप्त करे और क्षतिपूर्ति एवं वसूली हेतु आवश्यक हो तो वाद दायर करे।

13. इस प्रकरण में अपीलकर्ता के तथ्यों को भिन्न प्रकरण होने से सहायता प्राप्त नहीं होती है। स्वीकार्य रूप से बैंक गारंटी को नियत अवधि में आह्वान किया गया। बैंक गारंटी मांग पर देय शर्त के बिना थी और बैंक गारंटी राशि तय शर्तों के अनुसार भुगतान करने हेतु बाध्य थी।

14. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक तुच्छ आधारों पर भुगतान करने हेतु अवसर ले रही है। खंडपीठ इस संबंध में पूर्णरूप से बैंक के आचरण के संबंध में उचित टिप्पणी करने हेतु न्यायसम्मत है। आमजन का विश्वास, भरोसा और आस्था बैंक

की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। आज के वर्तमान युग में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक लेनदेन काफी हद तक बैंक गारंटी पर निर्भर करते हैं। यदि बैंकों को इस तरह के उपाय अपनाकर अपनी प्रतिबद्धताओं का अपमान करने के लिए अवसर दिया जाता है तो संपूर्ण वाणिज्यिक और व्यावसायिक लेनदेन में ठहराव आ जाएगा। न्यायालय ने इस सिद्धांत को अपने कई अन्य निर्णयों द्वारा स्थापित किया है। हम उन सभी निर्णयों को दोहराकर इस निर्णय पर भार डालना उचित नहीं समझते हैं।

15. यह अपील किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण तदनुसार प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 को भुगतान किए जाने वाले खर्चों के साथ खारिज की जाती है।

सिविल अपील सं.....2008

(2007 की एसएलपी (सिविल) सं;- 3644 **से उद्भूत)**

16. अनुमति दी गई।

17. पूर्वोक्त निर्णय के आधार पर यह अपील भी खर्चे सहित खारिज की जाती है।

याचिकाएं खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दिलीप कुमार सैनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।